

**प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रगति आख्या सम्बन्धी प्रारूप का विवरण**

निस्तारण से सम्बन्धी कार्यालय का नाम— आगरा जोन, आगरा

परिषद दिवस के आयोजन का दिनांक— 16.06.2016

क्रम सं०	आवेदक का नाम, पता एवं मोबाइल नं०	शिकायत का विषय	पुनः आवेदन हो तो पूर्व आवेदन का क्रमांक एवं तिथि	निस्तारण हेतु दिया गया समय	कार्य से सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का अभिमत एवं प्रगति की स्थिति	टिप्पणी (प्रकरण निस्तारित)
1.	श्री श्याम कुमार गुप्ता निवासी-42, न्यू आदर्श नगर, बल्केश्वर रोड, आगरा-4	परिषद सं०-ए०जी०/55-3590/83 के विरुद्ध आवंटित भूखण्ड सं०-514/3, 515/3, 446/3, 447/3 के सम्बन्ध में।	-	15.07.2016	सम्पत्ति प्रबन्धक, आगरा सिकन्दरा योजना के पत्र सं०-1885/सं०प्र०-सि० आगरा दिनांक 20.07.2016 आवेदक को वर्ष 1992 में आवंटित भूखण्ड के विरुद्ध धनराशि जमा कर कब्जा हेतु औपचारिकताएं पूर्ण न करने पर निरस्तकरण आदेश 11873 दिनांक 21.10.1993 के क्रम में कुल जमा धनराशि (ब्याज सहित) रू०-753.00 में से रू०-500.80 की कटौती करते हुए अवशेष धनराशि रू०-252.00 चैक संख्या-127504 दिनांक 25.07.2009 द्वारा प्रेषित किये जाने की सूचना उपलब्ध करायी गयी है। निरस्त पंजीकरण के विरुद्ध परिषद नियमानुसार सम्पत्ति आवंटित किया जाना सम्भव नहीं है।	प्रकरण निस्तारित
2.	श्रीमती राज कांता पत्नी श्री एस०सी० तिवारी निवासी-ग्राम मंगल पुर डाकखाना सवाई (एत्मादपुर) जिला आगरा मो०-9412560979।	ट्रांस यमुना योजना फेस-2 आगरा स्थित भूखण्ड सं०-डी-1 के सम्बन्ध में।	-	15.07.2016	सम्पत्ति प्रबन्धक कमला नगर, आगरा द्वारा मा० न्यायालय के पारित निर्णय के क्रम में प्रकरण निस्तारित किये जाने की कार्यवाही की गई।	प्रकरण निस्तारित